न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 384/13

पीठासीन अधिकारी –श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 136 RLR Act

अनवान प्रार्थी – 1.चांदा पुत्र रमदान जाति मुसलमान
निवासी सरूपे का तला, तहसील सेड़वा

बनाम

विप्रार्थीगण – 1.उरस पुत्र जुम्मा 2.इमाम पुत्र जगमाल 3.हनीफ 4.इमामदीन पि.इसा 5.मलार 6.नबाब पि.रमदान 7.अलदाद पुत्र इदल 8.एसान 9.साबदीन 10.वाद पि. मठार, जाति मुसलमान
निवासी सरूपे का तला, तहसील सेड़वा
11.तहसीलदार सेड़वा।

वकील प्रार्थी :– श्री मोहनसिंह सोढ़ा

निर्णय

दिनांक :– 25.05.2018

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी सरूपे का तला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर का स्थायी निवासी है। प्रार्थी को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, परिवार कार्ड, सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र में प्रार्थी का नाम चांदा दर्ज है। प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा सं. 449/60, 452/62, 455/62, 462/64, 655/234 रकबा क्रमशः 46.05, 09.18, 01.07, 18.03, 06.17, कुल रकबा 82.10 बीघा मौजा सरूपे का तला, तहसील सेड़वा में प्रार्थी का नाम सदो दर्ज है। प्रार्थी के घर पर बचपन में दो नाम सदो व चांदा पुकारते थे। इसलिए सभी सरकारी रेकर्ड में चांदा नाम दर्ज होने के बावजूद लिपिकिय भूल से प्रार्थी का नाम उसकी संयुक्त खातेदारी की जमीन में सदो दर्ज हो गया। प्रार्थी का सही नाम चांदा है। इसलिए प्रार्थी उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में अपना नाम सदो के स्थान पर चांदा दुरस्त करवाने का अधिकारी है , इस हेतु आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थी सं. 1 से 10 के नोटिस तामिल सुदा प्राप्त होने के बावजूद विप्रार्थीगण अनुपस्थित, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। विप्रार्थी सं. 11 का नोटिस भी तामिल सुदा प्राप्त जो शामिल पत्रावली किया गया। वादग्रस्त आराजी के संबंध में तहसीलदार सेड़वा से जांच रिपोर्ट मंगवायी गई।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना में नकल खतौनी बन्दोबस्त, चालू जमाबन्दी, नक्शा, पहचान पत्र, बैंक डायरी, राशनकार्ड की छायाप्रतियां पेश की ।

पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत/कोर्ट कैम्प सरूपे का तला में पेश हुई। तहसीलदार सेड़वा से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो पत्रावली शामिल की गई।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का नाम सदो के स्थान पर चांदा दुरस्त करना न्यायोचित होगा ।

अतः न्यायहित में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर खेत खसरा सं. 449/60, 452/62, 455/62, 462/64, 655/234 रकबा क्रमशः 46.05, 09.18, 01.07, 18.03, 06.17, कुल रकबा 82.10 बीघा मौजा सरूपे का तला, तहसील सेड़वा में दर्ज प्रार्थी का गलत नाम सदो के स्थान पर चांदा दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.05.2018 को लोक अदालत/कोर्ट कैम्प सरूपे का तला में सुनाया गया।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन